



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 21 मार्च, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ “वन्दे मातरम्” (दिखिये नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (दिखिये नत्थी “ख”)।
3. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
 - (1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पहला अधिनियम बन गया।
 - (2) उत्तरांचल (उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दूसरा अधिनियम बन गया।
 - (3) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तीसरा अधिनियम बन गया।
 - (4) उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौथा अधिनियम बन गया।

- (5) उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पांचवा अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का छठा अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सातवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का आठवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का नवां अधिनियम बन गया।
- (10) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दसवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 फरवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, काली विनायक, पुराना थल तथा तड़ीगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री जीवन पाठक एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “उत्तरकाशी नगर को तीर्थ नगरी घोषित करने तथा नगर में तीर्थ सुधार अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध में” श्री महावीर चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट अथवा बल्दियाखान में शीतगृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल, ग्राम सभा देवीधूरा में ग्राम जमीरा से बल्दियाखान जीप मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री जगदीश चन्द्र एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्रीमती विजय बड़वाल, सदस्य, विधान सभा, “नये जनपद कोटद्वार की स्थापना के सम्बन्ध में” श्री भारत सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

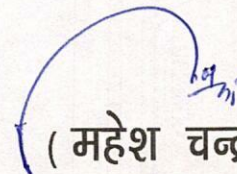
10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
11. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
13. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
14. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
15. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)
16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 4:00 बजे)।

17. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष, 2005-2006 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।
18. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।
19. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
20. मुख्यमंत्री उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।
22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।
23. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 21 मार्च, 2005

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विद्यान समा

नत्थी “क”

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्॥



उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2005

का प्रथम सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 21 मार्च, 2005)

नत्थी “ख”

तारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय
26-02-2005

*1. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण की रक्षा हेतु पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को घरेलू विद्युत दरों में छूट प्रदान किये जाने की कोई नीति सरकार द्वारा बनायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
26-02-2005

*2. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मनेरी-भाली विद्युत परियोजना का द्वितीय चरण, धरासू में कार्यरत एन.पी.सी.सी.लि. कम्पनी से कार्य नहीं कराया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि एन.पी.सी.सी.लि. कम्पनी की कार्य प्रगति अन्य निर्माण कम्पनियों से अधिक हैं? यदि हाँ, तो उक्त कम्पनी से कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा

श्री हरबंस कपूर
28-02-2005

*3. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की सेवाओं में महिलाओं के लिए पूर्व में कोई आरक्षण निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो कितना? क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में लागू है? यदि नहीं, तो सेवाओं में महिला आरक्षण समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
28-02-2005
डा० नारायण सिंह जन्तवाल
01-03-2005
श्री हरबंस कपूर
04-03-2005

*4. क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल के चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु विगत कई माह से आन्दोलित व विधान सभा के सम्मुख आमरण अनशन पर हैं? यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
01-03-2005

*5. क्या मुख्यमंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर प्रोन्नति के समय अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों को अन्य आरक्षित संवर्ग के पदों से भरे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या तत्संबंधी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश जारी करने का क्या औचित्य है?

कार्मिक

अतारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय
26-02-2005

1. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त औद्योगिक पैकेज के उपरान्त कुल कितने उद्योगों की स्थापना हुई उनमें कुल कितनी पूंजी का विनिवेश हुआ? अब तक स्थापित उद्योगों में कितने लोगो को रोजगार प्रदान किया गया है तथा नियोजित व्यक्तियों की जनपदवार संख्या क्या है?

उद्योग

श्री अजय भट्ट
26-02-2005

2. क्या पेयजल मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के छावनी परिषद रानीखेत एवं वि०ख० ताड़ीखेत के कुछ गांवों के लिये गंगास से "रानीखेत-ताड़ीखेत पम्पिंग पेयजल योजना" कई साल पूर्व बनायी गयी थी? यदि हाँ, तो मंत्री जी को यह भी ज्ञात है की इस योजना में लगे पाईपों की उम्र पूरी होने के कारण ये गलने लगे हैं? यदि हाँ, तो इस योजना के पुर्नगठन के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है एवं कब तक इस योजना का पुर्नगठन कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट
26-02-2005

3. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लाखामण्डल देहरादून के भवन की प्रथम मंजिल का निर्माण लो०नि०वि० से तथा दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराया गया है? यदि हाँ, तो एक ही भवन में दो एजेन्सियों द्वारा निर्माण कार्य करवाये जाने के क्या कारण हैं?

समाज कल्याण

श्री अजय भट्ट
26-02-2005

4. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोकायुक्त कार्यालय उत्तरांचल वर्तमान में "उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम-1975" के प्राविधानों के अनुरूप ही कार्यरत है? यदि हाँ, तो उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु मा० लोकायुक्त द्वारा कोई पत्र/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
28-02-2005

5. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पुर्नजीवित कर 12-04-1999 से पूर्व की स्थिति में पद स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री किशोर उपाध्याय 28-02-2005	6. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध निर्माण के कारण टिहरी जनपद के आठ विकासखण्डों की अवस्थापना सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हाँ, तो सरकार इन विकासखण्डों में अवस्थापना सुविधा प्रदान करने हेतु नीति का निर्धारण करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री किशोर उपाध्याय 28-02-2005	7. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में स्थापित हो रहे निजी क्षेत्र के उद्योगों में महिलाओं को रोजगार के अवसर सुलभ करने हेतु कोई नीति निर्धारण करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री अजय भट्ट 01-03-2005	8. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुख्यालयों एवं राज्य स्तर पर दैवीय आपदाओं की सूचनाओं एवं निगरानी हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्र नियमित (24 घण्टे) रूप से संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो इनको संचालित करने वाले स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर कितनी-कितनी है? क्या इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं मंहगाई भत्ते तथा अन्य सेवाओं का लाभ भी दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री बिशन सिंह चुफाल 01-03-2005	9. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम-डिगरा मुवानी में वर्ष 2003-2004 में निर्मित मुंगरोली पेयजल योजना की गुणवत्ता ठीक न होने से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री हरबंस कपूर 28-02-2005	10. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा उपरान्त प्रथम प्रोन्नत तथा 24, वर्ष की सेवा उपरान्त द्वितीय प्रोन्नति देने का कोई वेतनमान निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	द्वितीय सोमवार के अतारंकित 76 में स्था0
श्री अजय भट्ट 01-03-2005	11. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन मन्त्रालय में कितने स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी नियुक्त हैं? क्या संविदा पर रखे गये कर्मचारियों को नियमित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इन्हें नियमित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 01-03-2006	12. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि ग्राम विकास अधिकारियों के वेतनमान में अन्य समान संवर्गों की तुलना में विसंगति है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर कर समान संवर्ग समान वेतन देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
01-03-2005

13. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अन्तर्गत म्यूजियोलॉजी विषय की कक्षाएँ संचालित हो रही हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त विषय के अध्यापन हेतु वर्ष 1996 से 2001 तक अशंकालिक प्रवक्ता नियुक्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान में उक्त विषय के पद का सृजन करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

महेन्द्र प्रसाद भट्ट
01-03-2005

14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निमाणाधीन हापला धोतीधार मोटर मार्ग स्वीकृति के सापेक्ष कुल कितने कि.मी. बन कर तैयार हो गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि पूर्व स्वीकृत सड़क के अतिरिक्त धोतीधार तक और कितने कि.मी. सड़क की आवश्यकता है तथा इस हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
01-03-2005

15. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ग्राम विकास विभाग का पुर्नगठन (कैंडर मैनेजमेन्ट) प्रस्ताव निदेशालय द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

नत्थी - “ग”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2005 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2005 से दिनांक 30 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

मार्च, 2005

21 सोमवार

- (1) औपचारिक कार्य।
- (2) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।
(4:00 बजे, अपराह्न)
- (3) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण, उस पर चर्चा एवं मतदान।
- (4) उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

22 मंगलवार

- (1) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
 - (2) नियम-103 के प्रस्ताव-
- (क) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाये।”

- (ख) श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारु, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।”

23 बुधवार

- (1) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
- (2) विधायी कार्य।

(3) नियम-103 के प्रस्ताव-

- (क) श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाए।”

- (ख) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।”

24 गुरुवार से
26 शनिवार तक
27 रविवार
28 सोमवार

होली अवकाश (बैठक नहीं होगी।)

रविवार (बैठक नहीं होगी।)

- (1) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
(2) नियम-103 के प्रस्ताव-

- (क) श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:-

“संविधान के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाये।”

- (ख) काजी निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम बनाई जाए।”

29 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

30 बुधवार

- (1) अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- (2) अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- (3) अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- (4) अनुदान संख्या-08 आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- (5) अनुदान संख्या-26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- (6) नियम-103 के प्रस्ताव-

(क) श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जाय और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाए।”

(ख) डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाय।”